छत्तीसगढ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492 002

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 7–29/2012/12 :: छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) क्रमांक 10, दिनांक 09 मार्च, 2018 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक एफ 7–29/2012/12, 05 मार्च, 2018 के हिन्दी पाठ में, –

1. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 508 पर उक्त अधिसूचना की पैरा–1 की पंक्ति 3 में "निम्नलिखिनत" के स्थान पर "निम्नलिखित और" पढ़ा जाये,

2. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 508 पर उक्त अधिसूचना की अनुसूची–तीन में तालिका के ऊपर "स्वामित्व की दरें" के स्थान पर "स्वामिस्व की दरें" पढ़ा जाये,

3. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 508 की अनुसूची–तीन की तालिका के स.क्र. 1. के सम्मुख कॉलम 2 की पंक्ति 3 में "विशिष्ट आकार में ब्लाक्स" के स्थान पर "विशिष्ट आकार के ब्लाक्स" पढ़ा जाये,

2/ उपरोक्त संशोधन के साथ खनिज साधन विभाग की उक्त अधिसूचना का छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) क्रमांक 12, दिनांक 23 मार्च, 2018 के भाग–1 पृष्ठ क्रमांक 555 एवं 558 में पुनः प्रकाशन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(इफ्फत आरा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च 2018—चैत्र 2, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2017

क्रमांक ई-1-21/2017/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा 2009 बैच के निम्नांकित अधिकारियों को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1)(2) के परन्तुक के अंतर्गत आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम में अंकित तिथि से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) (पुनरीक्षित—Pay Matrix Level-12) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं आबंटन वर्ष	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान की देय तिथि	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डॉ. प्रियंका शुक्ला (2009)	01-01-2018	कलेक्टर, जिला जशपुर	कलेक्टर, जिला जशपुर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 सहपठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 49 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन

(नियम 49 देखिए)

स्वामिस्व की दरें

स. क्र. (1)	खनिज (2)	दरें (3)
1.	आकारीय पत्थर—ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय, परतदार तथा परिवर्तित चट्टाने, जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है :—	—
	(क) काला रंग	रुपये 2000 प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रुपये 750 प्रति घनमीटर
2.	संगमरमर, जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	रुपये 850 प्रति घनमीटर
3.	अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त संगमरमर पत्थर	रुपये 400 प्रति घनमीटर
4.	फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर, जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिये किया जाता है.	रुपये 120 प्रति घनमीटर
5.	साधारण रेत, बजरी	रुपये 50 प्रति घनमीटर
6.	मुरूम	रुपये 50 प्रति घनमीटर
7.	पत्थर	
	(क) बोल्डर	रुपये 130 प्रति घनमीटर
	(ख) गिट्टी, रोड मेटल	
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	
8.	साधारण मिट्टी : ईंट, बर्तन एवं कवेलू बनाने के लिए/निर्माण कार्य में व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी.	रुपये 50 प्रति घनमीटर

(1)	(2)	(3)
9.	(क) डोलोमाइट (उद्योगों में उपयोग हेतु) (ख) डोलोमाइट (सड़क एवं भवन निर्माण)	रुपये 90 प्रतिटन
10.	कोरण्डम	विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
11.	सोपस्टोन	विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत
12.	फायरक्ले/चाईना क्ले/अन्य क्ले	विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
13.	ऑकर	रुपये 30 प्रति टन
14.	लैटेराइट : धातुकर्म में उपयोग/अन्य उपयोग में	रुपये 60 प्रति टन
15.	क्वार्ट्ज	रुपये 90 प्रति टन
16.	क्वार्ट्जाइट	रुपये 140 प्रति टन
17.	सिलिका सेण्ड/अन्य बालू	रुपये 75 प्रति घनमीटर
18.	अन्य गौण खनिज	रुपये 60 प्रति घनमीटर"

2. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"6 क	अनुसूची-एक के भाग-ख में विनिर्दिष्ट खनिजों.	निरंक	5,000	7,500"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

टीप :— छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-03-2015 में प्रकाशित किया गया था, जिसके हिन्दी पाठ में शुद्धिपत्र दिनांक 30-01-2016 जारी किया गया. अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 23-03-2016, 13-02-2017 तथा 12-04-2017 द्वारा संशोधित किया गया. मूल नियम को अंतिम बार अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26-10-2017 द्वारा संशोधित किया गया.

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-29/2012/12, दिनांक 5 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 5th March 2018

No. F-7-29/2012/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) read with sub-rule (5) of rule 49 of the Chhattisgarh Minor Mineral

Rules, 2015, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the said rules with effect from 1st April, 2018, namely:i;s

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. For Schedule-III, the following shall be substituted, namely:i;s

"SCHEDULE-III
(See Rule 49)

Rates of Royalty

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous, sedimentary and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	
	(a) Black colour	Rs. 2000 per cubic metre
	(b) Other colour	Rs. 750 per cubic metre
2.	Marble, used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Rs. 850 per cubic metre
3.	Marble stone used for other purposes	Rs. 400 per cubic metre
4.	Flagstone-natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Rs. 120 per cubic metre
5.	Ordinary Sand, bajri	Rs. 50 per cubic metre
6.	Murrum	Rs. 50 per cubic metre
7.	Stone (a) Boulder (b) Gitti, roadmetal (c) Dressed Stone, Khanda, Dhoka	Rs. 130 per cubic metre
8.	Ordinary Soil; Soil for making bricks, pots and tiles/soil for commercial used in construction works.	Rs. 50 per cubic metre
9.	(a) Dolomite (industrial use) (b) Dolomite (Road and building construction)	Rs. 90 per tonne
10.	corundum	15 percent of sale price
11.	Soapstone	20 percent of sale price
12.	Fire Clay/China Clay/Other Clay	15 percent of sale price
13.	Ochre	Rs. 30 per tonne
14.	Laterite : Metallurgical use/Other use	Rs. 60 per tonne

(1)	(2)	(3)
15.	Quartz	Rs. 90 per tonne
16.	Quartzite	Rs. 140 per tonne
17.	Silica sand and other sand	Rs. 75 per cubic metre
18.	Other Minor Minerals	Rs. 60 per cubic metre"

2. In Schedule-IV, after Serial No. 6, the following shall be inserted, namely, :i;s

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6A	Minerals specified in Part B of Schedule I	Nil	5,000	7,500"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

Note :— The Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, were notified in the Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 27-3-2015, corrigendum dated 30.01.2016 issued for Hindi part of it. The Rules were further amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 23.3.2016, 13.2.2017 and dated 12.4.2017. The principal rules were lastly amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 26.10.2017.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्रमांक 262/549/2017/स्था./चार.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतन 4300 में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में अंकित तिथि से प्रथम उच्चतर वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतन 4800 स्वीकृत करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में नियुक्ति दिनांक (3)	समयमान वेतनमान प्रदान करने की देयता तिथि (4)
1.	श्री व्यास चन्द्र अग्रवाल	09-08-2004	09-08-2014
2.	श्री राजेन्द्र कुमार साहू	04-04-2005	04-04-2015
3.	श्री के. आर. साहू	27-09-2005	27-09-2015
4.	श्री अवधेश वर्मा	31-03-2006	31-03-2016
5.	श्री अभय कुमार सिन्हा	13-12-2006	13-12-2016

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव.